अध्याय XII – लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सीपीएसईज द्वारा वसूलियाँ, सुधार/परिशोधन

भारत हेवि इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, नादर्न कोलफील्डस लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड और दि न्यू इंडिया अश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

12.1 लेखापरीक्षा के अनुरोध पर वसूलियां

05 सीपीएसई से संबंधित 22 मामलों में, लेखापरीक्षा ने इस ओर ध्यान दिलाया कि ₹ 49.19 करोड़ की राशि की वसूली जानी थी। सीपीएसईज के प्रबंधन ने 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 34.55 करोड़ (70 प्रतिशत) की राशि वसूल की जैसा **परिशिष्ट-I** में विवरण है।

सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारर्पोरेशन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड

12.2 लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सुधार/परिशोधन

नमूना जांच के दौरान, नियमों/विनियमों के उल्लंघन, दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने से संबंधित मामले देखे गये और प्रबंधन के ध्यान में लाये गये। उन मामलों का विवरण जहां लेखापरीक्षा के अनुरोध पर प्रबंधन द्वारा अपने नियमों/विनियमों में परिवर्तन किया गया, **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।